प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. राज्य सरकार के विभागों द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अन्तर्गत की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

4. इस प्रतिवेदन मे उल्लिखित मामलें वे है जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की नमूना जॉच मे ध्यान मे आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षो में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नही किये जा सकें। वर्ष 2012-13 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहॉ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।

5. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।